प्रेस नोट दिनांक 03.11.2024, जनपद प्रतापगढ

थाना संग्रामगढ जनपद प्रतापगढ

अपहरण का नाटक रचाकर सड़क जाम, पुलिस ने झूठी कहानी का किया पर्दाफाश

आरोपियों पर मारपीट, जानलेवा हमले का दर्ज हुआ था मुकदमा

अपने बचाव में 2 घंटे बाद आरोपियों ने दर्ज कराई एफआईआर

दबाव बनाने के लिये आरोपियों ने नरई चौराहे पर भीड़ जमा कर रोड जाम किया

थाना संग्रामगढ पुलिस ने दर्ज किये मुकदमे और दबोचे आरोपी

पुलिस ने झूठी कहानी के सभी पात्र और सूत्रधारों को दबोचा

सड़क जाम करके उत्पात करने वालों पर दर्ज हुआ मुकदमा

पुलिस अधीक्षक ने सभी से कानून का पालन करने की अपील

प्रतापगढ़।

कानून को हाथ में लेकर सड़क जाम और हंगामा करने की कोशिश ने असामाजिक तत्वों को पुलिस के शिकंजे में ला दिया। अपहरण की झूठी कहानी गढ़कर और खुद को मुकदमे से बचाने के लिये असामजिक तत्वों ने पुलिस पर कार्रवाई का दबाव बनाने के लिये सड़क जाम करके जमकर उपद्रव किया। तीन लोगों के अपहरण के दर्ज हुए मुकदमें और हंगामे पर एक्शन में आई पुलिस ने थोड़ी ही देर में पूरे घटनाक्रम पर से पर्दा हटा दिया और अपहृत का नाटक रचकर गायब हुए युवकों को बरामद कर लिया। इसके साथ ही मारपीट और जानलेवा हमले के मुकदमें के वांछितों को भी दबोच लिया। पुलिस अधीक्षक डा.अनिल कुमार के निर्देश पर सड़क जाम और हंगामा करके जनजीवन को अस्त व्यस्त करने का प्रयास करने वालों के खिलाफ पुलिस ने संगीन धारा में मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई कर रही है।

मारपीट और जानलेवा हमले का मुकदमा

घटनाक्रम की शुरुआत तब हुई जब प्रदीप तिवारी पुत्र शिवपूजान तिवारी ग्राम असोगी तिवारी का पुरवा निवासी ने थाना संग्रामगढ़ पुलिस को 2 नवंबर की रात साढ़े 12 बजे तहरीर देकर बताया कि उनके भाई राजेन्द्र तिवारी (ववलू) दिनांक 30.10.2024 समय करीब 11 बजे रात को अपने मित्र राजेश पान्डे के साथ नरई चौराहा से उनको उनके घर नेवानी पहुँचाने जा रहे थे। तभी रास्ते में नेवानी पुलिया के पास दीपक पान्डे पुत्र सुरेश पान्डे, सुरेन्द्र यादव एवं दिनेश यादव दोनो पुत्र मेवालाल यादव, हिमान्शू यादव पुत्र ओमप्रकाश यादव, सागर नाई एवं साहिल नाई दोनो पुत्र राजेश नाई, अशोक यादव पुत्र गोविन्द यादव समस्त निवासी नेवानी, संग्रामगढ, कुण्डा, प्रतापगढ ने पुरानी रंजिश को लेकर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की नियत से धारधार हथियार से सिर

पर प्रहार कर दिया। जिससे भाई बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा और उनके मित्र राजेश पान्डे जान बचाकर गांव की तरफ भागे। मरा हुआ जानकर ये सब भाई राजेंद्र तिवारी को छोड़कर भाग गये। राजेश पान्डे के घर वालों ने एम्बूलेन्स के माध्यम से संग्रामगढ़ सीएचसी में एडमिट करवा दिया सिर में गम्भीर चोट लगी होने के कारण उन्हें प्रतापगढ अस्पताल रेफर किया जा चुका है। इस पर पुलिस ने दीपक पान्डे पुत्र सुरेश पान्डे, सुरेन्द्र यादव एवं दिनेश यादव दोनो पुत्र मेवालाल यादव, हिमान्शू यादव पुत्र ओमप्रकाश यादव, सागर नाई एवं साहिल नाई दोनो पुत्र राजेश नाई, अशोक यादव पुत्र गोविन्द यादव समस्त निवासी नेवानी, संग्रामगढ, कुण्डा, प्रतापगढ के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 191(2), 115(2), 352, 118(1), 109, 110 के तहत 2-11-24 को रात 12.41 पर मुकदमा दर्ज कर लिया।

अपहरण की रची झूठी कहानी

इसकी जानकारी जब आरोपी पक्ष के लोगों को हुई तब उन्होंने एक झूठी कहानी गढी और पहला मुकदमा दर्ज होने के दो घंटे बाद थाना संग्रामगढ़ में मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा लिखाने वाले दिनेश कुमार यादव पुत्र स्व० मेवालाल यादव ग्राम नेवानी नरई थाना संग्रामगढ जनपद प्रतापगढ ने पुलिस को बताया कि घटना कल दिनांक 01/11/24 को समय करीब 06.30 बजे शाम की है। दिनेश का सगा भाई सुरेन्द्र यादव पुत्र स्व० मेवालाल यादव निवासी उपरोक्त उम्र करीब 28 वर्ष एवं मेरा सगा भतीजा हिमांसू यादव पुत्र ओमप्रकाश यादव निवासी उपरोक्त उम्र करीब 20 वर्ष एवं मेरे ही गांव के दुर्गेश सेन नाई पुत्र राजेश कुमार सेन नाई उम्र करीब 19 वर्ष गांव के पास नहर की तरफ सौच करने गये थे। की मेरे ही गांव के मेरे विपक्षी जिनसे पहले से रंजिश चली आ रही है। राजेश पान्डेय पुत्र रमाकान्त पाण्डेय निवासी ग्राम नेवानी नरई थाना संग्रामगढ जिला प्रतापगढ एवं अनूप सिंह पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम धवरेहट थाना संग्रामगढ जिला प्रतापगढ एवं रवि सिंह पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम प्रतापपुर चेरगढ थाना संग्रामगढ जिला प्रतापगढ एवं ग्राम अशोगी के बब्लू तिवारी का सगा भाई जिसका नाम मुझे जात नहीं है। ये चारों लोग मिलकर मेरे भाई सुरेन्द्र यादव व भतीजा हिमान्शू यादव एवं गांव के दुर्गेश सेन नाई उपरोक्त को मार पीट कर जबरदस्ती काली स्कार्पियो में बैठा कर लेकर कहीं भाग गये। मुझे डर है कि मेरा भाई भतीजा व दुर्गेश सेन नाई के साथ कोई घटना न घट जाये। इस पर थाना संग्राम गढ़ पुलिस ने रात 2.32 पर राजेश पान्डेय, अनूप सिंह, रवि सिंह एवं ग्राम अशोगी के बब्लू तिवारी के सगे भाई नाम अज्ञात के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 140(1) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया।

तीनों अपहर्त युवकों की बरामदगी

मामले की जांच में लगी टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि जिन युवकों की अपहरण की बात की जा रही थी, वे गोदाही चौराहे पर किसी साधन का इंतजार कर रहे हैं। पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और तीनों युवकों को हिरासत में लिया। अपनी पहचान देने पर युवकों ने अपना नाम क्रमशः सुरेन्द्र यादव (24), हिमांशू यादव (19) और साहिल उर्फ दुर्गेश सेन (19) बताया। पुलिस द्वारा अपहरण के मामले में पूछताछ करने पर उन्होंने चौंकाने वाला खुलासा किया। तीनों युवकों ने कहा, "हमारा कोई अपहरण नहीं हुआ था। दरअसल, एक योजना के तहत हम खुद ही छिप गए थे।"

उन्होंने बताया कि 30 अक्टूबर को बबलू तिवारी और राजेश पाण्डेय के साथ उनका झगड़ा हुआ था, जिसमें बबलू तिवारी घायल हुआ और अस्पताल में भर्ती था। 1 नवंबर को उनके खिलाफ मुकदमा लिखवाने की खबर से बचने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई। सुरेन्द्र, हिमांशू और साहिल ने अपने परिचितों दिनेश यादव, ओमप्रकाश, बृजलाल सरोज, अशोक यादव, और वीरेंद्र यादव के साथ मिलकर ये निश्चय किया कि अपहरण का झूठा मुकदमा दर्ज कराया जाए ताकि विरोधियों पर दबाव बन सके। युवकों ने बताया कि उनके साथियों ने नरई चौराहे पर भीड़ जमा कर रोड जाम कर दिया ताकि प्रशासन पर दबाव डाला जा सके। इसके बाद वे मुंबई भागने की फिराक में थे। पुलिस ने उन्हें गोदाही चौराहे पर रोका और तब उन्होंने अपनी योजना का खुलासा किया।

कानून व्यवस्था बनाए रखें, समाज में शांति स्थापित करें

जनपद प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक डा.अनिल कुमार ने शहरवासियों से अपील की है कि वे समाज में शांति बनाए रखने के लिए कानून का सम्मान करें और किसी भी प्रकार के अव्यवस्था या उत्पात का हिस्सा न बनें। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपराध को छिपाने या दबाव बनाने के उद्देश्य से सड़कों पर भीड़ इकट्ठा कर तांडव करते हैं और पुलिस के कार्य में बाधा डालते हैं, जिससे न केवल कानून व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है बल्कि आम जनता भी इससे प्रभावित होती है। इस तरह के अव्यवस्थित कार्यों से पुलिस का समय व्यर्थ होता है, जिससे कभी-कभी आवश्यक स्थिति में पुलिस समय पर मदद नहीं पहुंचा पाती है।

पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि जो लोग सड़क जाम करके या भीड़ एकत्र करके अव्यवस्था उत्पन्न करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अब इस प्रकार के कृत्यों में लिप्त लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज कर उनके विरुद्ध कठोर कदम उठाएगी। इन गतिविधियों में संलिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई का उद्देश्य समाज में अनुशासन और कानून का पालन सुनिश्चित करना है। किसी भी नागरिक को यह अधिकार नहीं है कि वह कानून को अपने हाथ में ले और दूसरों की सुरक्षा और शांति को खतरे में डाले।

उन्होंने जनपद के बुजुर्गों से विशेष अनुरोध किया कि वे अपने घर के युवाओं को सही दिशा में प्रेरित करें। उन्हें समझाएं कि पुलिस और कानून के साथ सहयोग करना उनकी जिम्मेदारी है। यदि कोई युवा कानून का उल्लंघन करता है और उस पर पुलिस ने कार्रवाई की, तो इससे उसके भविष्य पर नकारात्मक असर पड़ेगा। ऐसी स्थिति में उसका जीवन और करियर प्रभावित हो सकता है।

बयान- पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार ने नागरिकों से अपील है कि किसी भी शिकायत या असहमति को प्रकट करने के लिए संवैधानिक तरीके अपनाएं, और अनुशासन का पालन करें। कानून की मर्यादा बनाए रखें और समाज में शांति और सुरक्षा के उद्देश्य से पुलिस के साथ मिलकर कार्य करें। ऐसा करके हम सभी मिलकर एक सुरक्षित और व्यवस्थित समाज की स्थापना कर सकते हैं, जो हमारे भविष्य और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आदर्श उदाहरण बनेगा।

थाना अंतू, जनपद प्रतापगढ़

थाना अंतू पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अंतू के उ0नि0 अंकित सिंह मय हमराह आरक्षी अनिल यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान मु0नं0-2100/2000 अ0स0 109/95 धारा 323, 504 भादवि0 थाना अंतू से संबंधित वारण्टी अभियुक्त रमेश पुत्र रामप्यारे निवासी ग्राम दादूपुर दौलत थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त का विवरण-

रमेश पुत्र रामप्यारे निवासी ग्राम दादूपुर दौलत थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम- उ0नि0 अंकित सिंह मय हमराह आरक्षी अनिल यादव थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़।

थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़

थाना मान्धाता पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मान्धाता के उ0नि0 कृष्णदत्त शुक्ला मय हमराह आरक्षी रणवेन्द्र सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान एसटी0नं0-1645/23 मु0अ0स0 126/23 धारा 4/ 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम थाना मान्धाता से संबंधित वारण्टी अभियुक्त गुल मोहम्मद पुत्र गुल हसन निवासी ग्राम मिश्रपुर मुस्तर्का थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त का विवरण-

गुल मोहम्मद पुत्र गुल हसन निवासी ग्राम मिश्रपुर मुस्तर्का थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम- उ0नि0 कृष्णदत्त शुक्ला मय हमराह आरक्षी रणवेन्द्र सिंह थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।